Witness No 14 **for** अभियोजन साक्षी **Deposition taken**

the 05.01.2019 **day of** **Witness's apparent age** 48 वर्ष

States on affirmation शपथ पूर्वक **my name is** डॉ. डी0शाह

son of श्री आर0एल0शाह **occupation** प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी

address डी0के0सुपर स्पेशलिस्ट हास्पिटल रायपुर (छ.ग.)

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री जे.एम.राजिमवाले अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. मै दिनांक 31.10.2017 डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में एसोसिएट प्रोफसर के पद पर पदस्थ था।

02. दिनांक 31.10.2017 को आहत सोनूदास मानिकपुरी पिता सुखदास, उम्र–18 वर्ष निवासी आमापारा शीतला मंदिर, रायपुर को भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के आपात चिकित्सा विभाग में उपचार हेतु लाया गया था। उक्त विभाग के चिकित्सकों द्वारा आहत की चोटों को देखने के पश्चात् हमारे विभाग का नहीं है बताकर प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भेज दिया गया था तब हमारे विभाग के सहयोगी चिकित्सक डॉ0 मनोज पोपटानी, डॉ0 आदित्य एवं डॉ0 नवीन पाटिल ने भर्ती कर उसका उपचार प्रारंभ किया था। उनके द्वारा दिया गया बेडहेड टिकट की सत्यप्रतिलिपि अभिलेख में संलग्न है। बेडहेड टिकट की सत्यप्रतिलिपि प्रपी–20 है, जिसके पृष्ठ क0 32 में डॉ0 आदित्य के हस्ताक्षर है, जिसे साथ में कार्यरत होने के कारण पहचानता हूं।

03. प्रपी–20 के बेडहेड टिकट अनुसार ईलाज के दौरान चिकित्सकों ने पाया था कि आहत सोनूदास के कंधे एवं बायें कमर के उपर पीठ में धारदार हथियार से कारित दो घाव पाया गया था, जिसे ऑपरेशन करके दिनांक 31.10.2017 को ही ठीक किया गया था। मरीज की स्थिति सुधर जाने पर उसे दिनांक 07.11.2017 को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ए0के0सेन अधिवक्ता वास्ते आरोपी

04. यह कहना सहीं है कि आहत का मेरे द्वारा उपचार नहीं किया गया था। प्रपी–20 के पृष्ठ क0 27 में मरीज की हिस्ट्री ली गई है, जिसमें उसके साथ आये व्यक्ति ने बताया था कि मरीज एक–दो साल से प्रतिदिन करीब 25–30 बिड़ी पीता था तथा वह विगत एक माह से गांजा भी पीना शुरू कर दिया था। यह कहना सहीं है कि प्रपी–20 में वर्णित

उपचार के अनुसार आहत को आई चोटों को रिपेयर किया गया है। यह कहना सहीं है कि प्रपी–20 के अनुसार कंधे में और कमर के बायें तरफ चोंट आई थी। यह कहना सहीं है कि आहत का किस पद्धति से उपचार किया गया था, उपचार करने वाले चिकित्सक ही बता सकते है। मैने जितनी भी बातें आज बताई है वह बेडहेड टिकट को देखकर बताई है।

समय : 03:30 से 04:00 बजे

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही / –

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / –

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर ....**सही / –**.................